



# हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान

(स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की एक शैक्षणिक इकाई)

## Himalayan Institute of Medical Sciences

(A Constituent Academic Unit of Swami Rama Himalayan University)



HIMS/2024/ 682

दिनांक: 14/08/2024

सेवा में,

कुलसचिव  
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय  
न्यू सेन्ट्रल होप टाउन,  
बायोंखाला, शिशमबाड़ा  
देहरादून।

**विषय:-** विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2024-25 के लिए मेडिकल/डेंटल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट यूजी0-2024 काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 944/एच0एन0बी0यू0एम0यू0/नीट यूजी0/2024-25 दिनांक 5 अगस्त, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में मांगी गयी बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है:-

**बिन्दु 01 :-** एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या- 150 है।

**बिन्दु 02 :-** हमारे संस्थान में राज्य कोटे/अखिल भारतीय केन्द्रीयकृत (एम0सी0सी0) कोटा अथवा अखिल भारतीय प्रबन्धन कोटे का कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) की धारा 13 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले 60 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र देकर शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) में 26% की छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। यह छूट प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने पर अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार दी जायेगी।

अतः एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु 40 प्रतिशत सीटें (80 सीटें) उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों तथा 80 प्रतिशत सीटें (90 सीटें) अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित करने की कृपा करें।

**बिन्दु 03 :-** शुल्क का विवरण :-

शासन द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के प्रथम नियमों के नियम-7 के प्रावधानों के अन्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिये शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय के प्रबन्धन मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

Category	Tuition Fee per annum
For candidates admitted under the State quota having Permanent Resident of Uttarakhand certificate (40% Seats i.e.60 seats)	Rs. 15,54,000/- (Rupees fifteen lakhs fifty-four thousand only)
For other Candidates (60% Seats i.e. 90 seats)	Rs. 21,00,000/- (Rupees twenty one lakhs only)

*AKDEEM*  
Principal  
Himalayan Institute of Medical Sciences

उपरोक्त शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क (Other Fee):

1	One time non-refundable Admission fees for all categories.	50,000/-
2	One time Refundable Security fees for all categories.	2,00,000/-
3	Hostel Fee for all categories on Twin sharing basis (Non A.C.) per annum Hostel Fee for all categories on Twin sharing (A.C.) : Rs. 1,20,000/- per annum	90,000/-
4	Enrollment Fee (One time) for all categories	1,000/-
5	Charges for Hepatitis-B vaccination for all categories	1,500/-
6	Sports-ware (Student Kit & Blazer)	4,500/-
7	Mess Charges (per annum)	As per actuals (Rs.84,000/-)
8	Convocation Charges (to be paid in the final year)	Rs. 2,000/-
9	Alumni fee (to be paid in the final year)	Rs. 1,000/-
10	University Examination fee	Rs. 5,000/- per subject for the first year

**बिन्दु 04 :-** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या U.12012/186/2019-ME.I [FTS.8006369] दिनांक 09/05/2019 द्वारा हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए कुल 150 सीटों की मान्यता प्रदान की गई है। (संलग्न-1)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) के पत्र संख्या Renewal/UGMEB/2023-24/335 dated 09/05/2024 द्वारा हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए कुल 150 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। (संलग्न-2)

**बिन्दु 05 :-** हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय का संघटक मेडिकल कालेज है।

**बिन्दु 06 :-** प्रधानाचार्य  
दूरभाष नं0  
मोबाईल नं0  
ई-मेल

— Dr. Ashok Kumar Deorari  
— 0135-2471158, 2471123,  
— 9818131391  
— principal.hims@srhu.edu.in

नोडल अधिकारी  
दूरभाष नं0  
मोबाईल नं0  
ई-मेल

— Dr. Vinit Mehrotra  
— 0135-2471220, 2471221  
— 9412006274  
— vp.ug.hims@srhu.edu.in

भवदीय,

AKDEORARI

14/08/24  
प्रधानाचार्य



**प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित:-**

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून।